

24187

6-4-22

प्रथम अपील

प्रथम अपील अधिकारी— श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(विभाग का नाम) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(विभाग का पता) भूखण्ड सं० 01 सेक्टर नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील महोदय,

1 मैंने सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आपके विभाग के लोकसूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिये आवेदन किया है :

2 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना देने के लिये निर्धारित की गयी समय अवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद भी मुझे जबाब प्राप्त नहीं हुआ है

आपसे निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मॉगी गई सारी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें। साथ ही, सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिये लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें।

धन्यवाद

RTI-20291

LAND



नाम : राजेन्द्र सिंह एडवोकेट

पता : चौ० नं० 157 गली नं० 6 जनपद न्यायालय सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

दिनांक : 4/04/2022

संलग्नक

आवेदन की प्रति

आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति

लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जबाब की प्रति

Ret. S.O.M (LAND)

APP-3476

7-4-22

AA. SDM land



7/4/22

जनसूचना अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

प्लॉट सं० 1 सैक्टर नालेज पार्क 04 ग्रेटर नोएडा सिटी गौतमबुद्धनगर।

दक का नाम-

राजेन्द्र सिंह बैसोया एडवोकेट

पता-

चै० नं० 157 गली नं० 6 जनपद न्यायालय सूरजपुर

गई सूचना का ब्योरा

1- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्राम खोदना खुर्द मे

ण की गयी भूमि खसरा नं० नं० 641अ व 681 की बाबत कास्तकार अशोक कुमार पुत्र नसिंह निवासी सलारपुर जिला गौतमबुद्धनगर को किसान आबादी हेतु कितने प्रतिशत का आवंटित किया गया अवगत कराये जाने का कष्ट करे

2- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्राम खोदना खुर्द मे

नं० 617अ के कास्तकार घनपाल पुत्र श्री रामफल निवासी ग्राम फतेहपुर दिल्ली व नं० 284 व 297 के कास्तकार राजकुमार पुत्र श्री उदीराम निवासी दिल्ली व खसरा नं० 305,331,335 के कास्तकार शौर्य डोभान पुत्र श्री अजीत कुमार निवासी शक्ति सदर 150 नेहरू नगर रुडकी व खसरा नं० 305,331,335 के कास्तकार विवके डोभान पुत्र श्री अजीत कुमार निवासी शक्ति सदर 150 नेहरू नगर रुडकी को कृषक आबादी हेतु कितने कितने मीटर के मुखण्ड आवंटित किये गये है। अवगत कराये जाने का कष्ट करे

4 मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पुरी जानकारी मे माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अर्न्तगत मुक्त नही है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

5. (1) मैंने 10 रुपये शब्दों मे दस रुपये तिथी 07/02/2022 को रसीद/नोट सं०

49N157736 से विभाग/कार्यालय मे भुगतान किया है।

(2) मैं भुगतानादेश सं० 49N157736 दिनांक 07/02/2022 जो जनसूचना अधिकारी /मुख्य कार्यपालन अधिकारी/पदाधिकारी के पक्ष मे. पोस्ट आफिस द्वारा जारी की गई है फीस के रूप मे संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने दस रुपये का ननजूडिशियल स्टाम्प इस आवेदन मे लगा दिया है।

6. यदि माँगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नही हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुये मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनों के समयवधि के अन्दर हस्तान्तरित करे, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताये।

स्थान गौतमबुद्धनगर

दिनांक 7/2/2022

आवेदन के हस्तारक्षर

